राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1967/2013/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कपारो फास्टनर्स,
चोपानकी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/आरवेट/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंयन, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित कर रूपये 17,395/– व शास्ति रूपये 1,04,355/– कुल मांग राशि रूपये 1,21,750/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृ1तीय, प्रतिकरापवंयन, भिवाडी (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 08.06.2012 को वाहन संख्या एचआर–55के–6025 को हरचन्दपुर, भिवाडी में रोक कर चैक किया गया। वाहन में "M.S. Wire Rod" पाये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मैसर्स रोहित स्टील्स, रोहतक का इन्वॉइस संख्या 62, 63 दिनांक 07.06.2012 व डिलीवरी चालान संख्या 84, 85 दिनांक 07.06.2012 एवं मैसर्स राजपूत रोडलाईन्स, भिवाडी की जी.आर. संख्या 2433 दिनांक 07.06.2013 पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं पाये जाने पर इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए उक्त वाहन मय माल को अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत् निरूद्ध कर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई। सशक्त अधिकारी ने "M.S. Wire Rod" को अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में मानते हुए परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 को आवश्यक दस्तावेज मानकर, परिवहनित माल के साथ वैट–47 नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब दिया कि वाहन चालक/माल प्रभारी जॉब वर्क के पश्चात् वैट–47 को ऑफिस में ही भूलकर आ गया था, एवं पूर्ण रूप से भरा वैट–47 पेश कर दिया। प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर को पश्चात्वर्ती सोच मानकर उससे असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 1,21,750/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल "M.S. Wire Rod" अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आता है, तथा माल के परिवहन के समय वैट–47 एक आवश्यक दस्तावेज है, जो कि वक्त जांच प्रत्यर्थी व्यवहारी के साथ नहीं पाया गया, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध बतलाते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वक्त जांच वैट–47 का नहीं पाया जाना वाहन चालक/माल प्रभारी की महज एक भूल थी, जिसका बाद में सुधार किया जाकर नोटिस के जवाब की पालना के साथ सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपने कथन के समर्थन में उन्होने **माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1166/2010/जयपुर मैसर्स ए.बी.बी.लि. बनाम एसीटीओ आदेश दिनांक 04.03.2016 को उद्धरित किया।** अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच, जांच अधिकारी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित किये जा रहे माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–47 नहीं पाया गया, जो कि उनके द्वारा नोटिस के जवाब के साथ बाद में पेश कर दिया गया था। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1166/2010/जयपुर मैसर्स ए.बी.बी.लि. बनाम एसीटीओ आदेश दिनांक 04.03.2016** द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नोटिस के जवाब के साथ

लगातार.....3

घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत कर दिये जाने से अधिनियम की धारा 76 में कोई उल्लंघन कारित नहीं होता है। सशक्त अधिकारी को संचलन के दौरान परिवहनित माल की जांच के समय विक्रय संव्यवहार की प्रकृति का निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है। विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य